

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 13 / 2013
संस्थान दिनांक 14.01.2013

आबकारी विभाग वृत्त, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

जियालाल पिता सीताराम, आयु 40 वर्ष,
निवासी-ग्राम मण्डवाड़ा, तहसील अंजड़
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 18.06.2015 को घोषित)

1. आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 321 / 2012 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 14.01.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 26.11.2012 को समय दोपहर 01:00 बजे, ग्राम मण्डवाड़ा, थाना अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक केन में हाथ भट्टी मदिरा 13 लीटर भरी रखे हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
3. परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.2012 को आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर समयाभाव के कारण बिना तलाशी वारंट लिये अभियुक्त जियालाल के मकान पर साक्षी रामेश्वर के समक्ष आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान ने जामा तलाशी प्रदर्शपी 1 देने के पश्चात् अभियुक्त के मकान से सामग्री बरामद हुई जिसकी विधिवत जाँच करने पर हाथ भट्टी मदिरा होना पाया था। अभियुक्त ने अपने आधिपत्य में हाथ भट्टी मदिरा रखे होने पर आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान ने अभियुक्त से मदिरा जप्त कर प्रदर्शपी 2

का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त जियालाल को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 3 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, तत्पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 321/12 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान साक्षी रामेश्वर एवं इरफान के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

4. अभियोग पत्र/परिवाद पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या अभियुक्त दिनांक 26.11.2012 को समय दोपहर 01:00 बजे, ग्राम मण्डवाड़ा, थाना अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक केन में हाथ भट्टी मदिरा 13 लीटर भरी रखे हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. परिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में इरफान (अ.सा.1), आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.2) एवं रामेश्वर (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान अ.सा. 2 ने बताया कि दिनांक 20.11.12 को वह आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ में उपनिरीक्षक के पद पर था। उक्त दिनांक को गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना पर वह अभियुक्त के मकान में गया तथा साक्षियों को बुलाकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। अभियुक्त को आवाज देकर बुलाया तथा उसके बाहर आने पर मुखबिर की सूचना बताकर अभियुक्त को स्वयं की तलाशी दी जिसका पंचनामा प्रदर्शपी 1 का बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अपनी तलाशी देने के बाद अभियुक्त के मकान की विधिवत तलाशी लेने पर अभियुक्त के मकान के प्रथम कमरे से दीवार की साईड में एक

प्लास्टिक की केन बरामद हुई जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ था। उक्त तरल पदार्थ को उसके द्वारा देखकर, सूँघकर, चखकर एवं यंत्रों द्वारा परीक्षण करने पर उक्त तरल पदार्थ हाथ भट्टी मदिरा होना पाया और नापने पर उक्त हाथ भट्टी मदिरा 13 लीटर होना पाई गई जिसे प्रदर्शपी 2 के अनुसार जप्त किया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

8. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे मुखबिर की सूचना उसे दोपहर 12 बजे प्राप्त हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति मदिरा विक्रय करता है तो वह ग्लास एवं मदिरा के साथ खाने का सामान भी रखते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने कोई ग्लास एवं खाने की सामग्री जप्त नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह रामेश्वर को पहले से नहीं जानता था वह अभियुक्त के घर के सामने खड़ा था, जिसे आवाज देकर बुला लिया था उसने रामेश्वर को यह बता दिया था कि किस बात के हस्ताक्षर करवा रहे हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम मण्डवाड़ा में ग्राम पंचायत है उसने उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव से अभियुक्त के मकान के संबंध में कोई दस्तावेज जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि किसी व्यक्ति के मकान की तलाशी लेना हो तो महिला उपस्थित होने पर महिला आरक्षक उपस्थित रखना आवश्यक होता है लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उस दिन अभियुक्त अकेला था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने कौन से यंत्रों से मदिरा का परीक्षण किया था उसका उल्लेख पंचनामें में नहीं किया है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई मदिरा जप्त नहीं की थी अथवा असत्य प्रकरण बनाया है।

9. इरफान असा 1 ने भी परिवादी के कथन का समर्थन करते हुए दिनांक 26.11.2012 को परिवादी के साथ ग्राम मण्डवाड़ा में अभियुक्त के निवास स्थान पर जाकर मकान की तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक की केन में हाथ भट्टी मदिरा जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 से 3 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि परिवादी ने अभियुक्त के मकान के संबंध में सरपंच से कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त के मकान में उसकी पत्नी एवं बच्चे निवास कर रहे थे और उस समय कोई महिला आरक्षक नहीं थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे मदिरा चखाई नहीं गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि परिवादी ने अभियुक्त का मकान होने के संबंध में ग्राम पंचायत से सरपंच, सचिव या अन्य कोई कर्मचारी से प्रामाण्य पत्र प्राप्त नहीं किया लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने अभियुक्त से कोई मदिरा जप्त नहीं हुई थी।

10. रामेश्वर असा 3 जप्ती पंचनरामें का स्वतंत्र साक्षी है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं साक्षी ने केवल प्रदर्शपी 1 से 3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने उक्त दस्तोवजों पर हस्ताक्षर आबकारी कार्यालय अंजड़ में किये थे।

11. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामों के स्वतंत्र साखी रामेश्वर ने अभियुक्त के पास से उक्त मदिरा उसके सामने जप्त होने से स्पष्ट इंकार किया है और अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है तो परिवादी और उसके अधिनस्थ कर्मचारी की अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि परिवादी ने अभियुक्त के आधिपत्य से उसके निवास स्थान में रखी हुई 13 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जप्त की थी। जहाँ तक कि अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज भी पेश नहीं की है जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त का मकान उसके आधिपत्य का था। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है। और अभियुक्त को आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त जियालाल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त जियालाल को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की केन में 13 हाथ भट्टी मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी